आयातित कॉस्मेटिक के लिये DCGI के नए मानक

स्रोत: लाइव **मिंट**

हाल ही में भारत में आयातित कॉस्मेटिक (सौंदर्य प्रसाधन) की गुणवत्ता, सुरक्षा और विनियमन में सुधार के लिये **भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI)** द्वारा नए मानक निर्धारित किये गए हैं।

- भारत में कॉस्मेटिक बाज़ार का मूल्य वर्ष 2023 में **8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था, वर्ष **2032 तक 18.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है**।

दिशा-निर्देश:

- कॉस्मेटिक/सौंदर्य प्रसाधनों का आयात केवल तभी किया जा सकता है जब उनकी समाप्ति तिथि **आयात की तारीख से कम-से-कम छह महीने** बाद हो।
- नियामक ने **नवंबर 2014 के बाद हेक्साक्लोरोफेन युक्त सौंदर्य प्रसाधनों और जानवरों पर परीक्षण किये** गए सौंदर्य प्रसाधनों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
    - हेक्साक्लोरोफेन, एक सामयिक **जीवाणुरोधी** क्लींजर है जिसका उपयोग सर्जरी से पहले त्वचा को साफ करने और संक्रमण को रोकने के लिये किया जाता था, लेकिन **सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इसे सौंदर्य प्रसाधनों में प्रतिबंधित कर** दिया गया है।
- मूल देश में प्रतिबंधित किसी भी सौंदर्य प्रसाधन के आयात की अनुमति केवल विशिष्ट प्रयोजनों (जैसे, परीक्षण, विश्लेषण) के लिये ही दी जा सकती है।
    - **कॉस्मेटिक रूल्स, 2020** में कहा गया है कि किसी भी कॉस्मेटिक उपयोगकर्त्ता को कोई गलत या भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिये।
- नए कॉस्मेटिक उत्पादों के आयातकों को सुरक्षा और प्रभावकारिता के प्रमाण के साथ **केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमोदन** लेना आवश्यक है।
- **DCGI:** DCGI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) का प्रमुख है, जो पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है।

और पढ़ें: भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/dcgi-s-new-regulations-for-imported-cosmetics